

Title: Need to raise limit of loan from Rs. 20,000/- to Rs. 50,000/- under Indira Awas Yojna.

श्री रामसागर रावत (बाराबंकी) : उपाध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जातियों के ऐसे लोग जिन के पास रहने के लिए अपना कोई आवास नहीं है, उनके लिए इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत सरकार २० हजार रुपए में आवास का निर्माण करती है। यह रकम महंगाई के जमाने में बहुत कम है। साथ ही साथ इस योजना में विशेष कर बाराबंकी जिले में अनियमितताओं की शिकायतें भी मिली है।

मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि इन्दिरा आवास योजना में आवंटित धनराशि को २० हजार रुपए प्रति आवास से बढ़ा कर ५० हजार रुपए प्रति आवास किया जाए तथा अनियमितताओं को दूर करने का प्रबन्ध किया जाए।